निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 55 / 18
दायरा दिनांकः–21.05.2018
निर्णय दिनांकः– 9.7.24

उनवान

शंकरलाल आयु 40 वर्ष पुत्र मोतीलाल पेशा खेती जाति खारवाल निवासी खेडला तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. लाडबाई आयु 45 वर्ष पत्नि चिंरोजीलाल जाति खारवाल पेशा खेती निवासी गुगोर तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील छबडा जिला बारां राज.

प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0
निर्णय दिनांकः– 9-7-24
अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री कृष्ण गोपाल भार्गव एंड – प्रार्थी
2. श्री नीरज कुमार माहेश्वरी – प्रतिवादी

अभिभाषक प्रार्थीया प्रतिवादिया द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सी0पी0सी0 विरूद्ध अप्रार्थी वादी के इस न्यायालय में पेश किया गया कि उपरोक्त वाद वादी द्वारा विवादित आराजी को जर्ये इकरारनामा दिनांक 15.05.2000 को क्रय किये जाने के आधार पर प्रस्तुत किया है चुंकि उक्त प्रकरण इकरारनामा बेय के आधार पर खातेदारी की घोषणा बाबत् है इस कारण से उक्त वाद का श्रवणाधिकार एवं क्षैत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त नही होकर सिविल न्यायालय को प्राप्त है। उक्त वाद विधि द्वारा वर्णित होने से कानूनन चलने योग्य नही है उक्त प्रस्तुत वाद पत्र में वादी द्वारा किसी भी प्रकार का वाद प्रस्तुती का कारण एवं दिनांक अंकित नही किया है वाद कारण ही उत्पन्न नही हुआ है। ऐसी स्थिति में वाद कारण के अभाव में उक्त वाद प्रथम दृष्टया ही कानूनन खारिज किये जाने योग्य है वाद पत्र उक्त वर्णित आधारों एवं कानूनी प्रावधानों से चलने योग्य नही होने से वा खारिज [illegible] योग्य है प्रार्थीया / वादिया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। अप्रार्थी वादी का वाद खा[illegible] फ[illegible]या जावे।

प्रार्थना पत्र[illegible] जवाब में [illegible]या कि प्रार्थना पत्र सरासर गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है जो [illegible] नही है। प्रति[illegible] (प्रार्थी) द्वारा उठाये गये समस्त तथ्य जवाब दावा एवं काउन्टर [illegible]लेम वाद में अंकित [illegible] गये जिसमें तनकी बन कर निर्णय होना है इसलिए प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी है। प्रार्थी / प्रतिवादीया का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:26:49 IST
Reason: SelfAttested

बहस प्रार्थना पत्र अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरन अभिभाषक प्रार्थीया/प्रतिवादीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थीया/प्रतिवादीया का कथन है कि वादी द्वारा वाद पत्र एक इकरारनामा के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने हेतु किया गया। इकरारनामा के आधार पर खातेदारी अधिकार देना का क्षैत्राधिकार श्रीमान को नही है सिविल न्यायालय को है वादी द्वारा बेचान इकरारनामा दिनांक 15.05.2000 के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने का दावा पेश किया है प्रार्थीया/प्रतिवादीया के खातेदारी में वर्ष 2000 में भूमि ही नही थी। प्रतिवादीया दुसरे की खातेदारी की भूमि को बेचान करने का काई अधिकार नही है प्रतिवादीया द्वारा वादी को कोई भूमि बेचान नही की गई। वादी द्वारा वाद पत्र प्रस्तुत करने का कारण एवं दिनांक अंकित नही किया है वाद कारण के अभाव में दावा चलने योग्य नही है वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से भी खारिज योग्य है प्रार्थीया/प्रतिवादिया विधवा औरत है जिसको नाजायज परेशान किया जा रहा है विधवा औरत की भूमि को हडपने की नियत से यह दावा पेश किया है वर्ष 2016 में खातेदार इमादुल्ला खां,इसादुल्ला खां एवं गिर्राज राजेन्द्र वगै0 के मध्य मुताबिक राजीनामा के प्रतिवादिया को उक्त भूमि खातेदारी में दर्ज हुई वादी का वाद विधि द्वारा वर्णित एवं वाद प्रस्तुत करने का कारण एवं दिनांक अंकित नही होने से वादी का वाद आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 के तहत खारिज फरमाया जावे।

बहस प्रार्थना पत्र के दौरान वकील अप्रार्थी/वादी का कथन है कि लाडबाई द्वारा वादी को 55,000/– में भूमि का बेचान किया गया था। इस भूमि का पूर्व में दावा विचाराधीन था। खरीदतें समय इसकी रजिस्ट्री नही हुई लाडबाई ने इकरार किया था कि जैसे ही जमीन मेरे खाते लगेगी में रजिस्ट्री करा दुगीं भूमि पर वादी का कब्जा चला आ रहा है प्रतिवादिया द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है प्रार्थीया/प्रतिवादीया द्वारा उठायें गये समस्त तथ्य दावा एवं काउन्टर क्लेम के आधार पर विवाधक निर्धारण किये जाकर साक्ष्य ग्रहण के बाद ही निर्णय किया जायेगा। प्रार्थीया/प्रतिवादीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही होने से खारिज फरमाया जावे।

बहस प्रार्थना पत्र अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम खेडली सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 87 के अनुसार लाडबाई पत्नि स्व0 चिरोंजीलाल जाति खारवाल सा0देह गुगोर के नाम दर्ज रिकार्ड है नकल नामान्तरण संख्या 242 से लाडबाई राजेन्द्र, गिर्राज के नाम दर्ज होना पाया जाता है प्रकरण संख्या 207/2011 प्रार्थना पत्र बउनवान गिर्राज, राजेन्द्र वगै0 बनाम सरकार, इमादुल्ला खां, इसादुल्ला खां निर्णय दिनांक 30.08.2016 के अनुसार प्रतिवादिया को मुताबिक राजीनामा खसरा नम्बर 103/131 में से 1 बीघा 147/54 की 1 बीघा 65 में से 2 बीघा 102 मे से 1 बीघा कुल 5 बीघा भूमि खातेदारी में दर्ज हुई वादी द्वारा प्रस्तुत इकरारनामा के अनु[illegible] 12.01 बीघा में हिस्सा 1/4 एवं खसरा नम्बर 130/131 रकबा 3.13 बीघा [illegible]/2 भूमि बेचान का इकरारनामा लिखा हुआ है इकरारनामा के आधार पर खसरा [illegible] 1/4 यानि 3 बीघा एवं खसरा नम्बर 130/131 में 1/2 [illegible] 4.16 बीघा का स्टाम्प लिखा हुआ है जबकि प्रतिवादीया के खाते [illegible] 131 को 1 बीघा भूमि है खसरा नमबर 99 की भूमि खातेदारी में नही है इकरारनामा 15.05.2000 का लिखा हुआ है प्रतिवादीया के खाते में भूमि 2016 में दर्ज हुई है बिना स्वत्व के अधिकार के सम्पत्ति का

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:26:49 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

हस्तांतरण विधि अनुरूप नही है। अतः इस आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित कानून एवं वाद प्रस्तुत करने का कारण अंकित नही होने से प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 के तहत वाद पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया/प्रतिवादीया का प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 एवं धारा 151 सी0पी0सी0 स्वीकार किया जाता है। वादी का वाद खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Gurjar
Date: 2024.08.08 17:26:49 IST
Reason: SelfAttested